

## न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या-04/2023-24

प्रथम पक्ष:-गया सिंह उर्फ गया प्रसाद सिंह, ग्राम-पदमपुर, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्ष:-रामदेव उरांव एवं अन्य, ग्राम-पदमपुर (बरवाडीह), थाना-टण्डवा, जिला-चतरा।

1

2

3

### आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक-गया सिंह उर्फ गया प्रसाद सिंह, पिता-स्व० सुदेश्वर सिंह, ग्राम-पदमपुर, टोला-कसियाडीह, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। इस वाद में प्रथम पक्ष गया सिंह उर्फ गया प्रसाद सिंह, पिता-स्व० सुदेश्वर सिंह, ग्राम-पदमपुर, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा है तथा द्वितीय पक्ष-रामदेव उरांव, पित-सधवा उरांव एवं अन्य (कुल-06) सभी मौजा-मदमपुर, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा का नाम	खाता नं०	प्लॉट संख्या	कुल रकबा एकड़
पदमपुर	15	94, 417, 488, 248 एवं 787	1.36½, 1.30, 59½, 0.44 एवं 1.30

इस वाद की प्रक्रिया के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भू-खण्ड से संबंधित मामला माननीय व्यवहार न्यायालय चतरा में चल रहा है जिसका वाद संख्या Title Suit-137/2024 है।


सी०पी०सी० धारा-10 में उल्लेखित है कि

*"Stay of suit- No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other Court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court"*

उक्त परिपेक्ष्य में वाद की सुनवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की अग्रेतर कार्यवाई स्थगित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सिमरिया।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
सिमरिया।